

नगर पालिका, चिडावा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/CHIRAWA/FIRENOC/2023-24/27105
जारी दिनांक: 28-OCT-2024 वैधता दिनांक: 27-OCT-2025

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: MANJU DEVI BUDANIA
आवेदक का पता: SULTANA CHIRAWA JHUNJHUNU

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन NARENDRA ACADEMY SULTANA, 1, KISHOREPURA ROAD, SULTANA, , JHUNJHUNU, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
2. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
3. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
4. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
5. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पुरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्याल स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
7. रुफटॉप कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।
8. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
9. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिा निर्दोष का पालन करना आवश्यक होगा।
10. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
11. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनीय पदार्थ नहीं रखा जावे।
12. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र रुफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रुफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
13. अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
14. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
15. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिांशा पत्र निरस्त माना जाएगा।
16. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पुरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्याल स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।

Signed by: Rohit Kumar Meel
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: CHIRAWA, Rajasthan
Date: 28/10/2024 10:22:44



अध्यक्ष

स्व नरेंद्र बुडानिया मेमोरियल शिक्षण
जनकल्याण एवं विकास संवा समिति
सुलताना जिला मुन्हुनू (राज.)

PRINCIPAL

Narendra Academy, Sultana
School Code-10771

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, चिडावा